08/2015 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A9

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 08/15

1. भागोबाई धर्मपत्नी स्व0 श्री प्यारासिंह
2. पूर्णसिंह
3. बग्गासिंह
4. कुलवन्तसिंह
5. चन्नासिंह
6. गुरनामसिंह
7. सतनामसिंह
8. मालोबाई

पिसरान स्व0 प्यारासिंह अकवाम रायसिख सकनाए 44 पी.एस. तह0 रायसिंहनगर

अपीलार्थीगण

बनाम

1. कशमीरसिंह पुत्र स्व0 श्री बुटासिंह जाति मजबी सिख निवासी 44 पी0एस0 तह0 रायसिंहनगर।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर दिनांक 31–7–12

उपस्थित :1.श्री गुरविन्द्रसिंह संधू, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
3. श्री जीतपालसिंह सैनी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

आदेश **दिनांक : 23–09–16**

अपीलांट द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं0 1 के पिता श्री बूटासिंह को चक 44 पी एस तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 7 की 12.10 बीघा नहरी भूमि व मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी कृषि भूमि दिनांक 15–10–77 को सहायक कलक्टर रायसिंहनगर द्वारा आवंटित की गई । उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व प्यारासिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 323/98 प्यारासिंह बनाम बूटासिंह प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 19–6–99 को किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर रायसिंहनगर के आदेश से मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

भूमि जो अपीलांट को अस्थाई आवंटन होती रही। शेष आदेश यथावत रहा। उक्त आदेश की प्रति अपीलांट के पिता प्यारासिंह द्वारा उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसपर तहसीलदार को पालना के निर्देश दिये गये। इसी दौरान बूटासिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि की किश्तें जमा ना होने के कारण आराजी राज दर्ज कर दी गई। बूटासिंह द्वारा किश्तें जमा करवा कर जिला कलक्टर श्री गंगानगर (डी0आर0ए0) शाखा से एक आदेश डीआरए/98/3436 दिनांक 6-10-98 जारी करवा कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार, रायसिंहनगर को भेजा गया। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक 511 दिनांक 2-6-2001 को पटवारी हल्का को आदेश की पालना हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा मु0 नं0 7 की 12.10 बीघा नहरी भूमि का इंतकाल सं0 46 बूटासिंह के नाम गैरखातेदार के नाम दिनांक 8-9-01 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया व मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि को बूटासिंह के नराम गैरखातेदार बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया। आर ए ए के आदेश दिनांक 19.6.99 द्वारा रेस्पो0 बूटासिंह का आवंटन मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि की सीमा तक निरस्त करने के बाद उक्त विवादित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में रकबा राज दर्ज की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक 2-6-01 एवं इंतकाल सं0 329 दिनांक 31-7-12 द्वारा मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि बूटासिंह के नाम गैरखातेदार दर्ज कर दी गई। अपीलार्थीगण के पति व पिता की मृत्यू दिनांक 30.11.12 को होने के बाद अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है व अपीलार्थीगण का उक्त रकबा टीसी पर आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र जेरकार है व आराजी राज मानकर नाजायज काश्त के नोटिस जारी किये जा रहे हैं। बूटासिंह की मृत्यू के बाद उसके पुत्र कशमीरसिंह को रेस्पो0 बनाया गया है जो अपने बदमाश व्यक्तियों के साथ इंतकाल आदेश की आड़ में कब्जा छीनने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 2-6-01 एवं उसके आधार पर दर्ज इंतकाल सं0 329 दिनांक 31.7.12 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि रेस्पो0 सं0 1 के पिता श्री बूटासिंह को चक 44 पी एस तहसील रायसिंहनगर के मु0 नं0 7 की 12.10 बीघा नहरी भूमि व मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी कृषि भूमि दिनांक 15-10-77 को सहायक कलक्टर रायसिंहनगर द्वारा आवंटित की गई थी । उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व प्यारासिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 323/98 प्यारासिंह बनाम बूटासिंह प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 19-6-99 को किया जाकर अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

रायसिंहनगर के आदेश से मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा भूमि जो अपीलांट को अस्थाई आवंटन होती रही। शेष आदेश यथावत रहा। पटवारी हल्का द्वारा मु0 नं0 7 की 12.10 बीघा नहरी भूमि का इंतकाल सं0 46 बूटासिंह के नाम गैरखातेदार दिनांक 8–9–01 को दर्ज कर स्वीकृत किया गया व मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि को बूटासिंह के नाम गैरखातेदार बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया। आर ए ए के आदेश दिनांक 19.6.99 द्वारा रेस्पो0 बूटासिंह का आवंटन मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि की सीमा तक निरस्त करने के बाद उक्त विवादित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में रकबा राज दर्ज की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश को नजर अन्दाज कर आदेश दिनांक 2–6–01 एवं इंतकाल सं0 329 दिनांक 31–7–12 द्वारा मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि बूटासिंह के नाम गैरखातेदार दर्ज कर दी गई। अपीलार्थीगण के पति व पिता की मृत्यू दिनांक 30.11.12 को होने के बाद अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है व अपीलार्थीगण का उक्त रकबा टीसी पर आवंटन करवाने का प्रार्थना पत्र जेरकार है व आराजी राज मानकर नाजायज काश्त के नोटिस जारी किये जा रहे हैं। बूटासिंह की मृत्यू के बाद उसके पुत्र कशमीरसिंह को रेस्पो0 बनाया गया है जो इंतकाल आदेश की आड़ में कब्जा छीनने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 2–6–01 एवं उसके आधार पर दर्ज इंतकाल सं0 329 दिनांक 31.7.12 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि रेस्पो0 1 के पिता बुटासिंह द्वारा प्यारासिंह के खिलाफ मा0 राजस्व मण्डल में निगरानी सं0 139/99 जो राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 19–6–99 के विरूद्व दायर की हुई है। निगरानी में माननीय मण्डल का जो भी आदेश होगा, वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा और उसी अनुसार इंतकाल की कार्यवाही होनी है। अतः ऐसी स्थिति में मा0 मण्डल के निर्णय तक अपील को लंबित रखा जाना चाहिये।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 329 जो दिनांक 31–7–12 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 01/512 दिनांक 2–6–01 के क्रम में गैरखातेदार स्वीकृत किया गया है।

रेस्पो0 सं0 1 के पिता श्री बूटासिंह को चक 44 पी0एस0 तहसील रायसिंहनगर में मु0 नं0 7 की 12.10 बीघा व मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि दिनांक 15–10–77 को हुई थी। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के समक्ष अपीलांट के पति/पिता प्यारासिंह द्वारा अपील सं0 323/98 दायर की गई, जिसका निर्णय दिनांक 19–6–99 को किया जाकर मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा भूमि जो अपीलांट प्यारासिंह को अस्थाई तौर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पर आवंटित होती रही है, का आवंटन निरस्त किया जाकर, शेष आदेश यथावत् रखा गया है। रेस्पो0 सं0 2 के पिता बूटासिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 16–6–99 के खिलाफ मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं0 139/99 दायर की हुई है, जिसमें अनुतोष चाहा गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर का निर्णय दिनांक 19–6–99 निरस्त किया जावे तथा आवंटन दिनांक 15–10–77 चक 44 पी0एस0 के मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा बारानी भूमि का आवंटन सम्पुष्ट किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 19–6–99 को पारित किया जाकर मु0 नं0 71 की 12.10 बीघा भूमि जो अपीलांट प्यारासिंह को अस्थाई तौर पर आवंटित होती रही है, का आवंटन निरस्त किया गया है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट के पति/पिता को अस्थाई काश्त के लिए आवंटित होती रही है, लेकिन प्यारासिंह को उक्त भूमि का आवंटन पुख्ता नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल के माध्यम से रेस्पो0 सं0 2 के नाम इंतकाल स्वीकृत करने में विधिक भूल की गई है क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय से मु0 नं0 71 की भूमि राजस्व अभिलेख में आराजी राज दर्ज होनी चाहिये थी तथा विधिक रूप से अस्थाई आवंटन पर गैरखातेदारी भूमि का इंतकाल दर्ज नहीं हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं0 2 के पिता बूटासिंह के पक्ष में अपीलाधीन इंतकाल सं0 329 गैरखातेदार दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 329 दिनांक 31–7–12 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय, राजस्व अभिलेख में आराजी राज दर्ज करें। मा0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी सं0 139/99 का निर्णय दोनों पक्षों पर प्रभावी होगा।

आदेश आज दिनांक 23–9–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/16

(करतारसिंह पूनियां)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)